उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांक सं0– 33069/लेखा–2/आयकर/2017–18 दिनांक : 12.12.2017

समस्त प्रबन्धक श्रेणी–1, 2,
उत्तर प्रदेश सह0ग्राम विकास बैक लि0
उत्तर प्रदेश ।

आवश्यक /महत्वपूर्ण

बिषय :– स्रोत पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान वेतन से आयकर की कटौती के सम्बंध में ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आयकर के अर्न्तगत धारा 192 के अधीन आयकर की कटौती के सम्बंध में आयकर की दरें व अनुदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि इसी के अनुसार आप अपने कार्यालय के समस्त कर्मचारियों के वेतन से वित्तीय वर्ष 2017–18 में आयकर ''कैलकुलेशन मेमो '' पर सूचना प्राप्त कर आयकर की कटौती करने के बाद काटी गई धनराशि को निर्धारित समय 31 मार्च 2018 के अंदर भारतीय स्टेट बैंक/राजकीय कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करें। आप अपना एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आयकर की कटौती करने के बाद देय आयकर समय से जमा कराना आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

आयकर ढॉचे में व्यापक परिवर्तन के फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन में अन्य मदों को शामिल कर लिया गया है। भवन सम्पत्ति से आय, कारोबार से आय, पूँजी अभिलाभ, अन्य स्रोतों से आय एवं जोड़ी जाने वाली अन्य व्यक्तियों की आय को भी सम्मिलित करके आयकर की गणना की जानी है। 'कैलकुलेशन मेमो' के साथ वेतन के अतिरिक्त सुविधाओं, अनुलाभों व लाभों का विवरण (Perquisites) को शामिल करते हुए कर्मचारियों की सकल कुल आय पर आयकर निकाला जाना है इसलिए उपयुर्क्त पॉचों मदों की आय को सम्मिलित करके सकल कुल आय पर आयकर की गणना की जायेगी।

आयकर कटौती के सम्बन्ध में जहॉ कहीं विचारों की भिन्नता हो वहॉ आयकर उपबंधों का और जिस संगत वित्तीय अधिनियम के जरिये कर ढॉचें में परिवर्तन किये गये हैं उनका समाधान अपने जिले के आयकर कार्यालय से प्राप्त कर लें।

स्थानान्तरित कर्मचारियों की सूचना आयकर के सम्बंध में 1–4–2017 से तातारीख तक की आहरित वेतन की सूचना उनके गंतव्य स्थान तक को विलम्बतम 15.01.2018 तक आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से अवश्य भेज दी जाय।

मण्डलीय शाखा पर कार्यरत सभी प्रबन्धक श्रेणी–1, 2 अपना कैलकुलेशन मेमों निर्धारित प्रारूप पर माह जनवरी 18 के वेतन बिल के साथ (संलग्नकों सहित) प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

गत वित्तीय वर्ष 2016–17 का फार्म 24क्यू/26क्यू जो आयकर कार्यालय में प्रत्येक शाखा कार्यालय द्वारा जमा कराये गये हैं उनकी एक प्रति मुख्यालय भेज दी जाय, जिन शाखा कार्यालय के अभी तक टैन आवंटित नहीं कराये गये हैं उनके सम्बन्ध में प्रबन्धक श्रेणी–1/प्रबन्धक श्रेणी–2 अपना स्पष्टीकरण समुचित कारणों सहित अधोहस्ताक्षरी के पास प्रधान कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। यदि किसी शाखा कार्यालय से कोई आयकर कटौती की धनराशि जमा नहीं कराई गई है तो उस सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाय क्योंकि सन् 1972 से वेतन स्वीकृत करने का अधिकार प्रबन्धक श्रेणी–1/प्रबन्धक श्रेणी–2/प्रबन्धक श्रेणी–3 को दिया जा चुका है। उक्त अंश के अनुपालन में सूचना अनिवार्य रूप से दि0 31.01.2018 तक अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

शाखा से कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण की स्थिति में शाखा का **TAN** सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। समस्त शाखाऍ अपना E-TDS RETURN (26Q/ 24Q) वित्तीय वर्ष 2017–18 समय से जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा शाखा स्तर पर आहरण/वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

संलग्नक : कैलकुलेशन मेमो व अनुदेश ।

ह0–
(सुभाष चन्द्र)
सहा0महाप्रबन्धक/प्रबंधक श्रेणी–3 (लेखा–2)
आहरण वितरण अधिकारी

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित।

1. समस्त प्रबन्धक श्रेणी–1, 2, 3/अनु0अधिकारी, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारीगण , प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. प्राचार्य (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक महोदय को उनके निजी सचिव के माध्यम से अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. उप महाप्रबंधक (कम्प्यूटर), उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैक लि0, प्र0का0, लखनऊ को मेल आईडी पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।

ह0–
सहा0महाप्रबन्धक/प्रबंधक श्रेणी–3 (लेखा–2)
आहरण वितरण अधिकारी

::- वित्तीय वर्ष 2017–18 कर निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु अनुदेश (Instructions) -::

1. प्राप्त किये गये मकान किराये भत्ते के अधीन छूट धारा 10(13ए) हेतुः-
   (क) वास्तविक प्राप्त की मकान किराये भत्ते की धनराशि।
   (ख) संगत अवधि हेतु किराये की अदायगी में उपगत व्यय की धनराशि जो देय वेतन (मूलवेतन तथा मँहगाई भत्ता) दसवें भाग से अधिक है।
   (ग) संगत वर्ष के वेतन का 40 प्रतिशत(वेतन का तात्पर्य मूल वेतन व मँहगाई भत्ते से है)
   उपर्युक्त क, ख, ग में से जो धनराशि न्यूनतम हो वह छूट अनुमन्य है। कर्मचारी को केवल किराये पर रहने की दशा में छूट अनुमन्य है अन्यथा नहीं।
2. भवन ऋण की ब्याज की छूट दिनांक 31.3.99 तक के ऋणों पर अधिकतम रू0 30,000/- तथा दिनांक 01.4.99 या बाद के ऋणों पर रू0 1,50,000/- तक भवन सम्पत्ति से हानि शीर्षक के अर्न्तगत पूर्ववत रहेगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 से भवन ऋण व्याज की छूट रू0-2,00,000/- अनुमन्य है। प्लाट क्रय हेतु लिए गये ऋण पर कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राष्टीय वचत पत्रों पर उपार्जित ब्याज प्रति हजार का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2012-13	NIL	(01.04.2012 से 31.03.2013 तक के क्रय)
वर्ष 2013-14	121.10	(01.04.2013 से 31.03.2014 तक के क्रय)
वर्ष 2014-15	111.40	(01.04.2014 से 31.03.2015 तक के क्रय)
वर्ष 2015-16	102.50	(01.04.2015 से 31.03.2016 तक के क्रय)
वर्ष 2016-17	89.50	(01.04.2016 से 30.09.2016 तक के क्रय)
	88.30	(01.10.2016 से 31.03.2017 तक के क्रय)
वर्ष 2017-18	88.30	(01.04.2017 से 30.09.2017 तक के क्रय)
	81.60	(01.10.2017 से 31.03.2018 तक के क्रय)

4. अन्य स्रोतों से आय मद में उपर्युक्त अंकित दर से ब्याज की गणना की जायेगी। मासिक जमा, सावधि जमा योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के अधीन राष्ट्रीय बचत योजना(एन0एस0एस0) धारा 80 सीसीबी, म्यूचअल फण्ड से निकाली गई धनराशि को भी जोडा जायेगा तथा एन0एस0सी0 पर आगणित उपार्जित ब्याज वर्ष 2012-13 से 2016-17 को धारा 80 सी के अन्तर्गत पुनर्वियोजित माना जायेगा।
5. धारा 80 सी0सी0सी0, 80 सी0सी0बी0, 80 डी0, 80 डी0डी0, 80 डी0डी0बी0, 80 जी0, 80 जी0जी0, 80 क्यू0 क्यू0 बी0, 80 आर0आर0वी0, व 80 यू0, की कटौतियों के मापदण्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
6. **ए.** अध्याय 6ए के अधीन धारा 80डी मेडीक्लेम पॉलिसी या प्रीमियम भुगतान हेतु अधिकतम रू0 25,000/-स्वयं व परिवार हेतु एवं माता-पिता हेतु रू0 25,000/- और वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में रू0 5,000/- अतिरिक्त कटौती भी देय है। प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान कर योग्य आय में से किया गया हो तथा भुगतान नकद के बजाय चेक/ड्राफ्ट या अन्य तरीके से ही किया गया हो।
   बी. धारा 80डी.डी. में विकलांग आश्रित पर व्यय परिचर्या सहित या विकलांग के लिए जमा धनराशि या विकलांग आश्रित पर खर्च व जमा दोनों मिलाकर अधिकतम रू0 75,000/-(आश्रित का अर्थ उस व्यक्ति की पत्नी/पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, भाई/बहन या उनमें से कोई एक से है विकलांगता से 40 प्रतिशत पीड़ित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 10 आई0 प्रमाणपत्र पर देय। जहॉ गम्भीर विकलांगता पीड़ित 80 प्रतिशत या एक से अधिक विकलांगता ग्रस्त हो तो रू0 1,25,000/- की कटौती अनुज्ञात है और आश्रित व्यक्ति द्वारा अपनी कुल आय में से धारा 80यू0 के अधीन दावा न किया गया हो तभी 80डी.डी. की कटौती देय होगी)। इसके अतिरिक्त एल0आई0सी0 या यू0टी0आई0 एवं विभाग (बैंक) के द्वारा यदि कोई धनराशि प्राप्त की गयी है तो वह घटाने के बाद शेष धनराशि की कटौती के लिये पात्र होगी। आश्रित विकलांग की कोई धनराशि यू0टी0आई या एल0आई0सी0 से आश्रित विकलांग की मृत्यु की दशा में कर निर्धारिती को प्राप्त होती है तो वह धनराशि उस वर्ष की कर योग्य आय होगी जिस वर्ष में कर निर्धारिती को प्राप्त हुई है और तद्नुसार कर निर्धारिती का आयकर निर्धारित किया जायेगा।
   सी.धारा 80डी.डी.बी. में स्वयं या पूर्णतः आश्रित के विशेष रोग (कैन्सर, एड्स आदि) के इलाज पर व्यय अधिकतम रू0 40,000/- (विशेषज्ञ से निर्दिष्ट प्रमाणपत्र 10 आई दाखिल करने पर देय) प्रतिबन्ध यह है कि उस रोग हेतु धनराशि की प्रतिपूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से न प्राप्त की गयी हो।
   डी. धारा 80यू. स्वयं विकलांगता से पीड़ित विकलांगता प्रमाण पत्र पर देय अधिकतम रू0 1.25 लाख की कटौती अनुज्ञात है।
7. अध्याय 6 ए के अधीन 80 ई0 में कटौती केवल ब्याज की देय होगी। मूलधन की भुगतान की गयी धनराशि पर कटौती देय न होगी। पूर्ण कालिक शिक्षा स्नातक या परास्नातक कोर्स, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा या प्रबन्ध अथवा परास्नातक कोर्स, शोधित विज्ञान (Applied Sciences), अप्रयुक्त विज्ञान (Pure Sciences), सांख्यिकी या गणित सहित शिक्षा से है। वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की पुनर्अदायगी अधिकतम 8 वर्ष की कटौती केवल ब्याज की देय है। कटौती की धनराशि सीमा रहित है। वित्तीय वर्ष 07-08 से मूलधन व ब्याज दोनों की कटौती देय नहीं है। ऋण स्वयं कर दाता द्वारा लिया गया हो तथा स्वयं या पति/पत्नी तथा बच्चे के लिए लिया गया हो। बच्चो या पत्नी द्वारा लिये गये ऋण पर छूट देय नहीं है।

.....2 पर.....

8. सकल कुल कटौतियां धारा 80 सी0, धारा 80 सी0सी0सी0 व 80 सी0सी0डी0 किसी कर निर्धारिती के लिये किसी भी दशा में एक लाख पचास हजार रूपये से अधिक न होगी।

9. धारा 80सी0 से 80यू0 तक की कटौतियां (अध्याय 6ए से 80सी तक) सकल कुल आय से अधिक नहीं होंगी।

10. महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की आयकर की गणना व्यष्टि (Individual), हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family), व्यक्तियों की संस्था (Association Of Persons) व व्यक्तियों का निकाय (Body of Individuals) की तरह एक समान ही हैं।

11. अधिभार तथा अन्य शिक्षा उपकर भारतीय निवासियों व अनिवासियों दोनों कर निर्धारितियों को देय है।

12. कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन आयकर के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित उपनियमों तथा कार्यकारी आदेशों के अनुसार किया जाता है। नये नियमों के अधीन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान किये गये अनुलाभों को शामिल किया जायेगा। कुल अनुलाभों के मूल्यों की गणना धारा 17(2) के अधीन दशार्यी जायेगी।

(i) वित्तीय संस्थाओं से ब्याज रहित/रियायती ऋण लेने का प्रचलन है। आहरित अनुलाभों के मूल्य को निकालने के लिए कर्मचारियों द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक के संगत वर्ष के प्रथम वर्ष (2017–18) के प्रथम दिन अर्थात 1-4-17 की निर्धारित भुगतानित ब्याज में से घटाया जायेगा। भवन एवं क्रय/निर्माण के मामलों में 5 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक के ऋणों में अनुलाभों की निर्धारित ब्याज 9.45 प्रतिशत है एवं दो पहिया वाहन के लिए ऋणों में अनुलाभ की निर्धारित ब्याज दर 12.20 प्रतिशत है और कार हेतु अनुलाभ की गणना 9.80% वार्षिक उच्च ब्याज दर लागू होगी। रूपये 20,000/- सकल सीमा तक छोटे ऋणों की इसमें छूट होगी अर्थात् अनुलाभ की गणना नहीं की जायेगी।

अनुलाभों की मूल्य की गणना साधारण ब्याज के अनुरूप मासिक अवशेष के अधिकतम देय के आधार पर की जायेगी। आगणन का कोई अन्य तरीका अनुचित माना जायेगा। जैसे भवन ऋण 6 प्रतिशत पर दिया गया है तो अनुलाभ 9.45% - 6% = 3.45% की दर से एवं महिलाओं हेतु भवन ऋण अनुलाभ की गणना 9.40%-6%= 3.40% की जायेगी।

(ii) नियोक्ता द्वारा उस धनराशि की प्रतिपूर्ति जो किसी कर्मचारी द्वारा किसी डाक्टर से अपने लिये या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए किया गया और जो एक वर्ष में कुल मिलाकर 15,000/- से अधिक न हो। चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई रू0 15,000/- से अधिक धनराशि को अनुलाभ के अधीन 17(2) में जोडा जायेगा। नोटः- सरकारी अस्पताल को भुगतान की गयी धनराशि पर आयकर की कटौती नहीं होगी। (Any payment made to government hospital is tax free)

(iii) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने हेतु भुगतान की गयी मानदेय की धनराशि अनुलाभ मानी जायेगी और उस पर तद्नुसार कर प्रभारित किया जायेगा।

13. कुल आय को 10 रूपये में तथा कर की राशि को 1.00 रूपये के निकटतम् अंक तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् रू0 4.99 को छोड़ते हुए और 5 रू0 को अगले 10 रूपये में तथा 49 पैसे को छोड़ते हुए और 50 पैसे को 1 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

14. ई0पी0एफ0 से ऋण लेकर चुकायी गयी बीमा प्रीमियम की धनराशि पर कोई आयकर कटौती/छूट देय न होगी।

15. पीपीएफ/ईपीएफ/स्वै0कर्म0भविष्य निधि अंशदान/जीपीएफ आदि मदों में की गई कटौती आयकर की धारा 80सी के अन्तर्गत अधिकतम(1,50,000.00 लाख तक) वित्तीय वर्ष 2015–16 से अनुमन्य है।

16. बचत खातों (Saving Bank Interest) से ब्याज 10,000/- तक धारा 80TTA में कटौती इस शर्त के साथ देय है कि बचत खाते के ब्याज की धनराशि आयकर संगणना फार्म कॉलम नं0-10 (अन्य श्रोतों से आय) में जोड़ा गया हो।

17. धारा 87 (a) में जिन कर्मचारियो/अधिकारियों की कर योग्य आय 3,50,000/-रूपये से कम है उनको रूपये 2500 तक की अधिकतम छूट अनुमन्य है और जहॉ पर कुल आयकर 2,500 से कम है छूट की धनराशि उक्त सीमा तक सीमित कर दी जायेगी।

18. NPS मद में धारा 80CCD(1B) के तहत अधिकतम 50,000 की धनराशि करमुक्त है।

19. नई पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान धारा 17 के अन्तर्गत कर योग्य अनुलाभों में जोड़ा जायेगा।

20. बैंक में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना-अपना आयकर संगणना फार्म निर्धारित समय में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें, अन्यथा निर्धारित समय के बाद नियमानुसार आयकर की कटौती अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर ली जायेगी।

ह0–
(सुभाष चन्द्र)
सहा0महाप्रबन्धक/प्रबंधक श्रेणी–3 (लेखा–2)
आहरण वितरण अधिकारी